

# बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

## कार्यालय आदेश

का0आ0 संख्या:- 3/अ0प्र0-1-573/2011 52 /पटना, दिनांक :- 23.9.2020

गोपालगंज जिले के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत झझवा से सलहपुर पथ निर्माण में WBM Grade-II की मुटाई दो स्थानों पर प्रावधनित मुटाई 75mm के विरुद्ध क्रमशः 75mm एवं 50 mm पाये जाने, प्रिमिक्स कारपेट के उपर सील कोट टाईप A का कार्य नहीं पाये जाने, पूरे पथ परत एवं पथ के फलैंक में संपीडन का अभाव पाये जाने, फलैंक एवं Side Slope में आंशिक मिट्टी कार्य पाये जाने एवं रोड फर्नीचर का कार्य नहीं पाये जाने के आरोपों के लिए मो0 शमीम सिद्धकी, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 2178 अनु0 दिनांक 01.08.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. विभागीय निदेश के आलोक में मो0 सिद्धकी के पत्रांक शुन्य दिनांक 01.10.2017 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की विभागीय समीक्षोपरान्त अस्वीकार्य योग्य पाते हुए विहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत कार्यालय आदेश संख्या-36-सह-पठित ज्ञापांक-1134 दिनांक 15.06.2020 द्वारा मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-7933 अनु0 दिनांक 14.09.2020 द्वारा मो0 सिद्धकी के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसमें आरोप संख्या-1 को क्रस्ट की मोटाई प्रावधान के अनुरूप होने, मोटाई पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करने एवं NQM Report में Sub-base एवं Base Course में Grading 'S' प्रदान करने, आरोप संख्या-2 को Seal Coat का कार्य किसी अन्य कनीय अभियंता के कार्य काल में कराये जाने तथा Seal Coat की मापी आरोपी पदाधिकारी द्वारा अंकित नहीं की किये जाने, आरोप संख्या-3 को प्रश्नगत कार्य Running Stage में होने और उनके द्वारा केवल तीन से लेकर आठवे विपत्र की मापी अंकित किये जाने तथा NQM Report के Item no. 4 (e) में Side Slope एवं Profile के बारे में 'S' Grading दिये जाने तथा आरोप संख्या-4 को मापी पुस्तिका के अनुसार रोड फर्नीचर

का कार्य सबसे अंत में किया जाता है के आधार पर मो० सिद्धीकी के सिद्ध लगाये गये सभी आरोपों को अप्रमाणित माना गया।

अतएवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षोपरांत मो० शमीम सिद्धकी, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हथुआ को आरोप से मुक्त किया जाता है।

५/२२/०९/२०२०

(प्रवीण कुमार ठाकुर)

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :- 3/अ०प्र०-1-573/2011 1564 /पटना, दिनांक :- 23-9-2020

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/जिला पदाधिकारी, सिवान/जिला कोषागार पदाधिकारी, सिवान/सभी मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हथुआ/ सिवान-2/प्रशाखा पदाधिकारी-4/मो० शमीम सिद्धकी, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, सिवान-2 सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हथुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

५/२२/०९/२०२०

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :- 3/अ०प्र०-1-573/2011 1564 /पटना, दिनांक :- 23-9-2020

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

५/२२/०९/२०२०

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :- 3/अ०प्र०-1-573/2011 1564 /पटना, दिनांक :- 23-9-2020

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

५/२२/०९/२०२०

अभियंता प्रमुख